

विज्ञप्ति

मण्डल में संविदा/समेकित पारिश्रमिक पर सेवा-निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को निम्न संवर्गों के पदों पर कार्य करने हेतु राजकीय सेवा, स्वायत्तशासी निकायों एवं मण्डलों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ संविदा/समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली जानी है। ऐसे इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन दिनांक 10-03-2020 तक आमंत्रित किये जाने हैं। इस हेतु विस्तृत विवरण दिशा-निर्देश एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप राज्य मण्डल वैबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1	पर्यावरण अभियन्ता	1
2	सहायक पर्यावरण अभियन्ता/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (तकनीकी संवर्ग)	6
3	वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (वैज्ञानिक संवर्ग)	10
4	लिपिक ग्रेड-प्रथम/लिपिक ग्रेड-द्वितीय	8
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1
6.	विधि अधिकारी-द्वितीय	2
7.	स्टेनो-टाईपिस्ट (हिन्दी/अंग्रेजी)	6


(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

विज्ञप्ति

मण्डल में संविदा/समेकित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संदर्भ में शर्तें एवं आवेदन पत्र।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर को निम्नांकित संवर्गों के पदों पर कार्य करने हेतु राजकीय सेवा, स्वायत्तशासी निकायो एवं मण्डलो से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्न शर्तों पर संविदा/समेकित पारिश्रमिक पर कार्य करने हेतु आवश्यकता है। ऐसे इच्छुक सेवानिवृत्त आवेदक अपने आवेदन पत्र सीधे ही सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 दिनांक..... तक भिजवाना सुनिश्चित करें:-

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1	पर्यावरण अभियन्ता	1
2	सहायक पर्यावरण अभियन्ता/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (तकनीकी संवर्ग)	6
3	वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (वैज्ञानिक संवर्ग)	10
4	लिपिक ग्रेड-प्रथम/लिपिक ग्रेड-द्वितीय	8
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1
6.	विधि अधिकारी-द्वितीय	2
7.	स्टेनो-टाईपिस्ट (हिन्दी/अंग्रेजी)	6

शर्तें

1.	सेवानिवृत्त कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.17(10) डी.ओ.पी./ए-2/94 दिनांक 08.02.2018 के द्वारा निर्धारित समेकित पारिश्रमिक देय होगा। सेवानिवृत्त कार्मिक, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, केवल वे ही आवेदन करें।
2.	संविदा/समेकित पारिश्रमिक पुनर्नियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिये अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक होगी। सेवा-सन्तोषजनक होने की स्थिति में ही संविदा/समेकित अवधि में वृद्धि का निर्णय राज्य मण्डल द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
3.	उक्त पदों हेतु वे ही सेवानिवृत्त कार्मिक आवेदन कर सकते हैं, जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं हो एवं सेवाकाल में किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया हो।
4.	कम्प्यूटर ज्ञान वाले को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।
5.	आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आवेदक का चयन वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से ही किया जायेगा।
6.	चयनित आवेदक का कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में 15 दिन का नोटिस देकर संविदा/समेकित पारिश्रमिक अवधि समाप्त कर दी जायेगी।
7.	आवेदक द्वारा चयन हाने की स्थिति में एक अनुबन्ध पत्र रु 500/- का स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
8.	संविदा/समेकित पारिश्रमिक आवेदकों को भुगतान राज्य सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप देय होगा।

संलग्न:- आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन-पत्र
पद का नाम.....

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	वर्तमान डाक का पता	
5.	स्थायी डाक का पता	
6.	दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी.	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	विशेष शैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर ज्ञान)	
9.	<ol style="list-style-type: none">1. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद2. सेवानिवृत्ति की दिनांक (आदेश की प्रतिलिपि सलंगन की जावें)3. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड/ग्रेड पे/पे-मेट्रिक्स लेवल) (पी.पी.ओ./एल.पी.सी. सलंगन करें)	
10.	कार्य का अनुभव (सेवारत रहते हुए सम्पादित किये गये कार्यों का विवरण)	
11.	अतिरिक्त सूचना यदि कोई आप देना उपयुक्त समझे, उसका उल्लेख करें	

आवेदक हस्ताक्षर